भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया
नई दिल्ली-110016

26.11.2020 को ऑनलाइन आयोजित नराकास (दक्षिण दिल्ली-3) की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट।

क्र.सं.	चर्चा किए गए महत्वपूर्ण बिंदु	अनुवर्ती कार्रवाई
1.	26.11.2020 को ऑनलाइन आयोजित नराकास (दक्षिण दिल्ली-3) की बैठक में सदस्य कार्यालयों से अधिकारी या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के संदर्भ में।	नराकास कार्यालय से संबंधित
2.	"क" और "ख" क्षेत्र में शत-प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र में 65 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।	वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित मूल पत्राचार हिंदी/द्विभाषी में करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छमाही प्रोत्साहन लागू की गई है तथा संस्थान के सभी सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण व मशीनी अनुवाद का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	"क" और "ख" क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी में दिया जाएगा।	संस्थान में हिंदी कक्ष को सशक्त करते हुए "क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिंदी/द्विभाषी रूप में भेजना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को जांच बिंदु के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी पाठ की सुनिश्चितता का निर्वहन करेगा।
4.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को शत-प्रतिशत काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।	संस्थान में सभी सदस्यों को कंप्यूटर प्रणाली पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से 01 अगस्त 2019 को जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रवीणता प्राप्त सदस्यों को अपना विनिर्दिष्ट कार्य हिंदी में किए जाने की सुनिश्चितता का दायित्व अनुभाग अधिकारी व विभाग प्रमुख को सौंपा गया है।

क्र.सं.	चर्चा किए गए महत्वपूर्ण बिंदु	अनुवर्ती कार्रवाई
5.	सदस्य कार्यालय प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक और एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करेगा।	संस्थान में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक व एक कार्यशाला के आयोजन की सुनिश्चितता निर्धारित की गई है। भविष्य में भी इसका अनुपालन किया जाएगा।
6.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा।	संस्थान में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज/कागज केवल द्विभाषी रूप से जारी किए जाते हैं तथा नियम-5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है।
7.	नराकास दक्षिण-3 द्वारा सदस्य कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के रिक्त पदों का विवरण जुटाया जाएगा।	नराकास कार्यालय से संबंधित
8.	कार्यशालाओं के आयोजन के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।	नराकास कार्यालय से संबंधित

प्रमोद गुप्ता

(डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता)
कुलसचिव

अतः उक्त अनुपालनात्मक रिपोर्ट कृपया अपेक्षित कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

डा. प्रमोद कुमार गुप्ता
कुलसचिव
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
मानित विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110016